न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—174/2019/223 (2019/00174)

1. कमला पत्नि स्व0 महावीर, जाति साध वैष्णव, निवासी ग्राम सनोद, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. घनश्याम पुत्र स्व0 बालदास, जाति साध वैष्णव, नि0 10—डी जैन, मंदिर के सामने, तिलक नगर, भीलवाड़ा ।
2. बद्री उर्फ सुरेश पुत्र स्व0 बालदास,
3. पोखर उर्फ पुखराज पुत्र स्व0 बालदास,
4. हेमन्त पुत्र महावीर,
5. संजय पुत्र महावीर,
6. शालू पुत्री महावीर,
7. मधु पुत्री महावीर,
8. कल्पना पुत्री महावरी,

   समस्त जाति साध वैष्णव, निवासी ग्राम सनोद, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 11.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 174/2016.

उपस्थितः—

1. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री गौतम टांक, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 3 .
3. श्री ज्ञान सागर, वकील रेस्पो0 संख्या 2, 4 व 5.
4. रेस्पो0 संख्या 6 से 8 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 9 व 10.

निर्णय

दिनांकः— 20.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी घनश्याम ने अपीलांटस एवं अन्य प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि खतौनी संख्या 637/568 की आराजी खसरा संख्या 1399 रकबा 0.25 है0, खसरा संख्या 1473 रकबा 0.24 है0, खसरा संख्या 1810 रकबा 0.23 है0, खसरा संख्या 4349 रकबा 0.32 है0, खसरा संख्या 4355 रकबा 0.04 है0, खसरा संख्या 4356 रकबा 0.51 है0, खसरा संख्या 4357 रकबा 0.33 है0, खसरा संख्या 4402 रकबा 0.10 है0, खसरा संख्या 4403 रकबा 0.23 है0

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

कुल किता 10 कुल रकबा 2.95 है0 भूमि वाकै ग्राम सनोद तहसील नसीराबाद स्थित होकर उक्त आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा है जिस संपूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 अर्थात् अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 4 से 8 काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है तथा वादी एवं अन्य को कोई हिस्सा प्रदान नहीं कर रहे है तथा आगे कथन करते हुए वाद में चाहे गये अनुतोष के अनुसार वादी का वाद बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् डिक्री करने हेतु निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2018 को वादी का वाद डिक्री कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.5.2018 न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । वादपत्र में अपीलांट का सम्मन तामील करवाना आवश्यक है जो न्यायालय द्वारा नहीं करवाये गये है । प्रार्थीया को कभी भी वाद की जानकारी नही रही है न ही एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र मौखिक कथनों के आधार पर एकतरफा में वाद डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इस विधिक बिन्दू को भी नजरअंदाज किया कि लोक अदालत में सभी पक्षकारो की सहमती आवश्यक है तथा सहमती नही होने पर गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि स्थाई निषेधाज्ञा का वाद केवल वही व्यक्ति ला सकता है जो काबिज काश्त खातेदार हो जबकि वाद पत्र में ही स्पष्ट अंकन है कि संपूर्ण भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 54 से 8 काबिज काश्त है जिन्हें बेदखल करवाये बिना वाद चलने योग्य नहीं था । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पेश करने में हुआ विलंब माफ करने पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया को वाद के सम्मन कभी भी प्राप्त नही हुए तथा न ही प्रार्थिया को किसी प्रकार कि प्रोपर तामील ही करवाई गई है इस कारण प्रार्थिया को अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी। प्रार्थिया को जब अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.4.2019 को कब्जा छोड़ने बाबत् कहा गया तब दिनांक 23.4.2019 को अपने परिचित अभिभाषक से संपर्क कर वाद की जानकारी प्राप्त की गई तत्पश्चात् निणय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 26.4.2019 को प्रमाणित प्रतिया प्राप्त होने पर अजमेर आकर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 1 एवं 3 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1/वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 7 व 8 का बराबर–बराबर 1/4 हिस्सा निहित है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

6 वादी की अनुमति व सहमति के बिना वादी की आराजात पर काश्त कर रहे थे । वादी अपने हिस्से की आराजियात का विधिक बंटवारा कराने तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2018 द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के संबंध में जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का 1/4 हिस्सा निहित होकर अविभाजित आराजी है जिसका विधिक विभाजन किया जावे। उक्त वाद अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 11.5.2018 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उन्हें विभाजन से कोई आपत्ति नहीं है । प्रतिवादी संख्या 2 को लोक अदालत के नोटिस तामील किन्तु उपस्थित नही हुए तथा शेष प्रतिवादी संख्या 2 के परिवार के है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 11.5.2018 को वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित कर तहसीलदार, नसीराबाद को उक्तानुसार वादग्रस्त आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार कर न्यायालय में पेश करने के आदेश पारित किये है । अपीलांटस ने हाजा न्यायालय द्वारा बंटवारे के आदेश में क्या त्रुटि रही है एवं क्या उसके हिस्से में कमी की गई है यह ऐतराज नहीं किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने बंटवारे बाबत् अपनी सहमति अधी0न्याया0 के समक्ष पेश की है । विद्वान अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों के क्रम में ही वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.5.2018 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से/कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा) 20/12/19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 20.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया/जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा) 20/12/19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर